15/6/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान – चलो गाँव के ओर के तहत इजलास में पेश हुई। पक्षकार हाजिर। चर्चा एवं सुनवाई भरे कैम्प में की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण धारा 175 RTA के तहत तहसीलदार राजाखेड़ा की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि आ.ख.नं. 3852 रकबा 8 बीघा रिकार्ड 2068 जमाबन्दी के अनुसार रमेश पुत्र पातीराम धोबी निवासी [illegible] तहसील राजाखेड़ा की खातेदारी में दर्ज है। इस हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15/05/14 के अनुसार, खातेदार का कब्जा न होकर धीतर सिंह पुत्र मुरली एवं नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, रामनरेशी, धनीराम पुत्र [illegible] सिंह व राजवेटी पत्नी पहार सिंह जाति ठाकुर सा० [illegible] तहसील राजाखेड़ा के बताया है जो खातेदार की सहमति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों का कब्जा, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 A का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए धारा 175 RTA के तहत इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर भूमि को विवादग्रस्त घोषित करने व अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की प्रार्थना की गयी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा भरे कैम्प में चर्चा की रिकार्ड पर गौर किया, राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि वर्तमान में भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति रमेश पुत्र पातीराम धोबी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

के नाम दर्ज है। मौके आज भी मौके में वर्तमान में भी इस आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्ति धीतरसिंह वगैरा का कब्जा होना बताया गया। अप्रार्थीगण सं 2, 3 ने स्वयं इसे स्वीकार किया, इस प्रकार विवादित आराजी पर खातेदार जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है की भूमि पर उनकी सहमति से सवर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा होना साबित होता है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 RTA स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 3852 रकबा 08 बीघा स्थित ग्राम रूपवासी को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वर्तमान खातेदार रमेश एवं पातीराम के नाम का कलमजन किया जावे। साथ ही अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा को पालना हेतु निर्णय की प्रति के साथ लिखा जावे। परवाना जारी हो। डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018